[असाधारण भाग III खंड 4 में प्रकाशनार्थ हेतु]

भारतीय रिज़र्व बैंक
अधिसूचना
मुंबई, 20 मई 2025

अधिसूचना सं. सीओ.डीपीएसएस.बीडी.सं. एस 168/02-01-012/2025-2026. – भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 38 की उप-धारा (1) और (2) के साथ धारा 3 की उप-धारा (4) के अनुसरण में, तथा भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड, 2008 के स्थान पर, रिजर्व बैंक एतद्द्वारा भुगतान विनियामक बोर्ड विनियमन, 2025(अनुलग्नक) प्रकाशित करता है, जो ऊपर उल्लिखित तिथि से लागू होगा।

(विवेक दीप)
कार्यपालक निदेशक

अनुलग्नक

भुगतान विनियामक बोर्ड विनियम, 2025

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 38 की उप-धारा (1) और (2) के साथ धारा 3 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -

(1) इन विनियमों को "भुगतान विनियामक बोर्ड विनियम, 2025" कहा जाएगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ -

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) से है;

(ख) 'बैंक' का तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) द्वारा गठित भारतीय रिजर्व बैंक से है;

(ग) 'बोर्ड' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत गठित भुगतान विनियामक बोर्ड से है;

(घ) 'केन्द्रीय बोर्ड' का तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 8 के अंतर्गत गठित भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक मंडल से है;

(ङ) 'सामान्य विनियम' का तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के अंतर्गत बनाए गए भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य विनियम, 1949 से है;

(च) 'सदस्य' का तात्पर्य बोर्ड के सदस्य से है;

(2) इसमें प्रयुक्त सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उन अधिनियमों में दिए गए हैं।

3. बोर्ड की संरचना -

(1) बोर्ड की संरचना अधिनियम की धारा 3 में बताए गए अनुसार होगी।

(2) भुगतान और निपटान प्रणाली, सूचना प्रौद्योगिकी, कानून आदि के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को बोर्ड अपनी बैठक में स्थायी या तदर्थ अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकता है और बोर्ड की बैठकों में बैंक का प्रधान कानूनी परामर्शदाता स्थायी अतिथि होगा।

4. अधिनियम की धारा 3 (3) (घ) के अंतर्गत नामित सदस्यों की पात्रता और कार्यकाल -

(1) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) में निर्दिष्ट बोर्ड के सदस्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा योग्यता, निष्ठा और प्रतिष्ठा तथा भुगतान प्रणाली, साइबर सुरक्षा सहित सूचना प्रौद्योगिकी, कानून आदि के क्षेत्र में ज्ञान, अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों में से नामित किया जाएगा:

बशर्ते कि किसी ऐसे व्यक्ति को सदस्य के रूप में नामित नहीं किया जाएगा, यदि वह व्यक्ति--

(क) सदस्य के रूप में नियुक्ति की तिथि को सत्तर वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो;

(ख) संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य हो;

(ग) किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया हो;

(घ) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जो एक सौ अस्सी दिन या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय हो;

(ङ) बोर्ड के सदस्य के कर्तव्यों का निर्वहन करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो; या

(च) किसी अन्य भुगतान प्रणाली के साथ हितविरोधिता है और वह ऐसे विरोध को हल करने में असमर्थ है।

(2) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अंतर्गत नामित बोर्ड का सदस्य, जब तक कि वह भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2 की उपधारा 28 में परिभाषित लोक सेवक न हो, वह चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनः नामांकन के लिए पात्र नहीं होगा।

(3) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अंतर्गत नामित बोर्ड का सदस्य, जब तक कि वह भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2 की उपधारा 28 में परिभाषित लोक सेवक न हो, उप-विनियम (2) के

अंतर्गत अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले किसी भी समय, केन्द्रीय सरकार को कम से कम छह सप्ताह का लिखित नोटिस देकर बोर्ड से त्यागपत्र दे सकता है, तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किए जाने पर वह बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा।

5. बोर्ड को सहायता – बोर्ड को भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी जो बोर्ड को रिपोर्ट करेगा।

6. बोर्ड के सदस्यों के लिए आचार संहिता –

(1) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य तथा विनियमन 3 के उपविनियम (2) में निर्दिष्ट स्थायी या तदर्थ आमंत्रित अतिथि अनुसूची के अनुसार एक घोषणा पर हस्ताक्षर करेंगे।

(2) निम्नलिखित संहिता का उद्देश्य बोर्ड के सदस्यों को उनके नैतिक आचरण पर व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करना है, जिससे बैंक और इसकी नीतियों में जनता का विश्वास और भरोसा बढ़ाने में मदद मिलेगी।

(क) सदस्य अपने पद की निष्ठा, गरिमा और प्रतिष्ठा के अनुरूप कार्य करेंगे।

(ख) निर्णय के लिए या अन्यथा बोर्ड के समक्ष आने वाले किसी भी मामले के संबंध में सदस्य हितविरोधिता का खुलासा करेंगे और यदि आवश्यक हो, तो विशिष्ट कार्यवाही से स्वंय को अलग कर लेंगे।

(ग) सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि बोर्ड के सदस्य के रूप में उन्हें प्राप्त सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर या अनजाने में जानकारी नहीं प्रस्तुत की जाएगी।

(घ) सदस्य सार्वजनिक पद के अनुरूप ईमानदारी के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे।

(3) प्रत्येक सदस्य को सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन में होने वाली सभी हानियों और व्ययों के लिए बैंक द्वारा क्षतिपूर्ति दी जाएगी, सिवाय उनके जो उसके स्वयं के जानबूझकर किए गए कार्य या चूक के कारण हुए हों।

7. पद रिक्ति –

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन नामित सदस्य, यदि अध्यक्ष की अनुमति के बिना बोर्ड की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो वह पद पर नहीं रह सकेगा।

8. बोर्ड की ओर से अधिकार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाएगा –

बोर्ड, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जैसा कि वह बोर्ड के कार्यों के कुशल प्रशासन के लिए उचित और आवश्यक समझे, ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन, यदि कोई हो, जैसा कि वह आदेश में निर्दिष्ट करें अपनी कोई या सभी अधिकार या कार्य बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य या बोर्ड की उप-समिति या बैंक के अधिकारी(यों) को सौंप सकता है। बशर्ते कि भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड[1] द्वारा पहले से अनुमोदित कोई भी प्रत्यायोजन आदेश इन विनियमों के लागू होने के बाद भी वैध बना रहेगा, जब तक कि बोर्ड द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता।

9. बोर्ड की बैठकें और कोरम –

(1) बोर्ड की बैठक सामान्यतः वर्ष में कम से कम दो बार ऐसे स्थान पर या इस तरह से होगी जैसा कि अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर तय किया जाएगा।

(2) सदस्यों को बैठकों में उपस्थित होने के लिए पर्याप्त सूचना दी जाएगी।

(3) बोर्ड की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम तीन सदस्यों का होगा जिसमें अध्यक्ष शामिल होगें और उनकी अनुपस्थिति में उप गवर्नर, जो कि बोर्ड के सदस्य हैं, शामिल होगें तथा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के तहत नामित एक सदस्य शामिल होंगे।

(4) बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और उनकी अनुपस्थिति में उप गवर्नर, जो कि बोर्ड के सदस्य हैं, द्वारा की जाएगी।

(5) बोर्ड के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होगा।

(6) बोर्ड की किसी बैठक के दौरान अनुमोदन के लिए आने वाले सभी मामलों का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा, और मतों के समान होने की स्थिति में अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उप गवर्नर, जो कि बोर्ड के सदस्य हैं, के पास दूसरा या निर्णायक मत होगा।

---

[1] 2017 के वित्त अधिनियम, की धारा 152 द्वारा अंतःस्थापित (9-05-2025 से प्रभावी)।

(7) यदि अध्यक्ष ऐसा निर्देश दे तो कार्य का कोई मद या मुद्दा, जिसके लिए बोर्ड का निर्णय अपेक्षित है, परिचालन द्वारा सदस्यों को भेजा जाएगा और ऐसे मद पर सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाएगा और मतों की समानता की स्थिति में, अध्यक्ष, या उनकी अनुपस्थिति में, उप गवर्नर, जो कि बोर्ड के सदस्य हैं, के पास दूसरा या निर्णायक मत होगा।

(8) अध्यक्ष, बोर्ड के किसी सदस्य द्वारा लिखित रूप में किए गए अनुरोध पर, ऐसे स्थान पर या इस तरह से बोर्ड की बैठक बुलाएगा जैसा वह तय करे।

(9) बोर्ड की कार्यवाही गोपनीय रहेगी।

10. समितियों का गठन –

(1) बोर्ड अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता या सलाह प्रदान करने के लिए समिति (समितियाँ) का गठन कर सकता है, जैसा कि समय-समय पर आवश्यक समझा जाए।

(2) समिति को भुगतान और निपटान प्रणालियों के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को आमंत्रित अतिथि के रूप में उस समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने का अधिकार होगा।

11. सदस्यों या आमंत्रितों को देय पारिश्रमिक और अन्य भत्ते –

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन बोर्ड में नामित सदस्य, विनियम 10 के उपविनियम (1) के अधीन किसी समिति में नामित सदस्य, तथा बोर्ड या किसी समिति में आमंत्रित प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए पारिश्रमिक तथा यात्रा, परिवहन, आवास और भोजन से संबंधित व्यय के हकदार होंगे, जैसा कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय किया जा सकता है।

अनुसूची
(विनियम 6 के तहत)
निष्ठा और गोपनीयता की घोषणा का प्रारूप

मैं, बोर्ड का सदस्य बनने पर या स्थायी या तदर्थ आमंत्रित अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने पर, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अपनी पूरी क्षमता से अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करूँगा/करूंगी और मैं अपने पद की गरिमा और गोपनीयता को बनाए रखूँगा/रखूँगी तथा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मेरे संज्ञान में आने वाली किसी भी बात या जानकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संप्रेषित या प्रकट नहीं करूँगा/करूँगी, सिवाय इसके कि जब इन विनियमों या कानून द्वारा ऐसा करने के लिए आवश्यक या अधिकृत किया गया हो।

(हस्ताक्षर)